राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6389/2022

राजेन्द्र कुमार गुप्ता (कर्मचारी आई.डी.– आरजेकेए199326014901)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.12.2022
आदेश की दिनांक : 16.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–। के पद पर रा.उ.मा.वि. बूकना, ब्लॉक सपोटरा, जिला करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति के तहत दिनांक 06.07.1993 को रा.प्रा.वि.–हाड़ौती, सपोटरा में अध्यापक के पद पर हुई थी। इसके बाद उपरांत अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.प्रा.वि., भागीरथपुरा, बगीदा में हो गया। अपीलार्थी ने 6डी के तहत रा.उ.प्रा. वि., भागीरथपुरा, बगीदा से स्थानांतरित होकर स्थानीय विद्यालय में दिनांक 18.06.2019 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी द्वारा बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण 2004 में उत्तीर्ण कर लिया गया था, जिसकी अंकतालिका विभाग का उपलब्ध करवा दी गई थी। वर्तमान में अपीलार्थी की सेवा–पुस्तिका व असाधारण–अवकाश पत्रावली स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों के पास भेजी हुई है। काफी समय बीत जाने के बाद एवं स्मरण पत्र भेज जाने के बाद भी इस प्रकरण में वांछित प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। अपीलार्थी को सेवा पुस्तिका व निजी पत्रावली

के अभाव में छठे व सातवें वेतन आयोग का लाभ, पी.एल. के नगद भुगतान का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, न ही मेडिकल अवकाश प्राप्त हो रहा है। अपीलार्थी की स्टडी लिव भी स्वीकृत नहीं हो पा रही है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)